फाइल संख्या 16/18/2016-इनफ्रा-1

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-I अनुभाग

***

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 01 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत में आईसीडी, सीएफएस और एएफएस की स्थापना तथा एलओआई की अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 08 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 10:30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का हवाला देने तथा अनुशीलन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 08 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 10:30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(बी प्रवीण)

निदेशक (इनफ्रास्ट्रक्चर)

टेलीफोन नंबर : 23062704

फैक्स : 23063418

ईमेल : b.praveen@nic.in

सेवा में,

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड {श्री सत्या श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)}, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23093475, ईमेल : jscus@nic.in
2. रेल मंत्रालय {श्री अजय बहेरा, कार्यपालक निदेशक (टीटीएस)}, रेल भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23303668 और 23383506, ईमेल : edtts@rb.railnet.gov.in
3. पोत परिवहन मंत्रालय {श्री आर के अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एसएम)}, पोत परिवहन विभाग, परिवहन भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23328549, ईमेल : rabindra.a@ias.nic.in
4. नागर विमानन मंत्रालय (डा. रेनू सिंह परमार, वरिष्ठ सलाहकार), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली, टेलीफैक्स : 24629322, ईमेल : eco-adv.moca@nic.in

प्रति प्रेषित : अपर सचिव (एकेबी) के निजी सचिव / जेएस (एससी) के निजी सचिव / निदेशक (बीपी) के निजी सचिव, अवर सचिव (आरआरके)

वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-1 अनुभाग

*****

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 08 जुलाई, 2016 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

भारत में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 08 जुलाई, 2016 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
2. श्री ए के बेहरा, कार्यपालक (टीटीएस), रेल मंत्रालय
3. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
4. श्री डी के राय, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय
5. डॉ. रीना सेठी, उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
6. डा. शेफाली जी सिंह, अवर सचिव, सीबीईसी, राजस्व विभाग
7. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
8. श्री एम रामा प्रताप, अनुभाग अधिकारी, इनफ्रा-I अनुभाग

I. 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आईएमसी ने 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

II. 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित पिछली आईएमसी बैठक के आस्थगित प्रस्ताव (17)

एजेंडा नंबर 01 : (आस्थगित प्रस्ताव)

उड़ान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा सीएफएस एंड एग्रीपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए प्रस्ताव जो 01 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुआ है (फाइल संख्या 16/20/2014-इनफ्रा-1)

बैठक में विकासक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण

प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 02 : (आस्थगित प्रस्ताव)

गट नंबर 55, ग्राम खर्नी, एमआईडीसी, तलोजा, जिला रायगढ़, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स एसबीडब्ल्यू लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजूदा सीएफएस में एक एएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 23/01/2015-इनफ्रा-1)

बैठक में विकासक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद विकासक से 2000 वर्गमीटर से कम भूमि होने के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने की भी अपेक्षा है। नागर विमानन मंत्रालय इस मामले में अपनी अंतिम टिप्पणियां प्रदान करे।

एजेंडा नंबर 03 : (आस्थगित प्रस्ताव)

76-77, ग्राम कापसहेड़ा, नई दिल्ली में मैसर्स कंटीनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 23/02/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी के प्रतिनिधि ने बताया है कि टिप्पणियां शीघ्र भेजी जाएंगी क्योंकि यह ग्रीन फील्ड एएफएस प्रस्ताव है।

एजेंडा नंबर 04 : (आस्थगित प्रस्ताव)

क्रोमपेट, चेन्नई में मैसर्स सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एएफएस की स्थापना के लिए प्रस्ताव जो 15 जून, 2015 को प्राप्त हुआ (फाइल संख्या 23/3/2015-इनफ्रा-1)

सीडब्ल्यूसी ने सूचित किया कि इस लोकेशन पर सीएफएस बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं कर रहा है और मौजूदा सीएफएस पर एएफएस की स्थापना के संबंध में नीति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सीडब्ल्यूसी सीएफएस के विमुक्तीकरण पर विचार करना और स्टैंड अलोन एएफएस की स्थापना के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता है। सीडब्ल्यूसी द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने पर आईएमसी मामले की जांच करेगी।

एजेंडा नंबर 05 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मरानायकनहल्ली, तालुक अनेकल, बेंगलुरू, कर्नाटक में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स

इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा रेल लिंक्ड आईसीडी की स्थापना (फाइल संख्या 16/14/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने सूचित किया कि उन्होंने मूलत: प्रस्तावित 49 एकड़ से भूमि को घटाकर 14 एकड़ कर दिया है क्योंकि वे शुरू में सड़क आधारित आईसीडी शुरू करना चाहते हैं क्योंकि रेलवे साइडिंग के विकसित होने में 8 से 9 महीने लग जाएंगे। विकासक ने आईएमसी को यह भी सूचित किया कि कस्टम बांड एरिया के लिए सुविधाएं मूल प्रस्ताव के अनुसार ही होंगी। आईएमसी ने विकासक से तद्नुसार प्रस्तावित आईसीडी के साइट लेआउट आदि के साथ संशोधित आवेदन भेजने के लिए कहा। अवर सचिव (इनफ्रा-1) ने सूचित किया कि हाल ही में विकासक द्वारा प्रदान किए गए सीएलयू तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सीबीईसी की टिप्पणियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 06 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम बय्यावरम, कासिम कोट्टा मंडल, विशाखापट्टनम में मैसर्स विशाखा सीएफएस एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/20/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित सीएफएस के विजयवाड़ा कस्टम आयुक्तालय से क्षेत्राधिकार को परिवर्तित करके विशाखापट्टनम कस्टम आयुक्तालय करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

एजेंडा नंबर 07 : (आस्थगित प्रस्ताव)

मौजूदा सीएफएस दिघी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना (फाइल संख्या 23/04/2015-इनफ्रा-I)

बैठक में विकासक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। सीबीईसी की टिप्पणियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक ने अभी तक सीएलयू प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्ताव आस्थगित हो गया गया।

एजेंडा नंबर 08 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम डिघोडे, तालुक उड़ान, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

विकासक द्वारा हाल ही में प्रस्तुत सीएलयू तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 09 : (आस्थगित प्रस्ताव)

खापरी गांव, नागपुर, महाराष्ट्र के मिहान क्षेत्र में कोंकोर द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/26/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। सीबीईसी ने सूचित किया कि क्षेत्राधिकारीय कस्टम कार्यालय से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा शीघ्र ही वे अपनी टिप्पणियां भेजेंगे। आईएमसी ने टिप्पणी की कि यह सुविधा सागरमाला परियोजना के अंतर्गत चिह्नित है इसलिए सीबीईसी से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद फाइल पर शीघ्रता से प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा सकती है।

एजेंडा नंबर 10 : (आस्थगित प्रस्ताव)

पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स सप्लाई चेन लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 16/23/2015-इनफ्रा-I)

सीबीईसी से टिप्पणियां और पोत परिवहन मंत्रालय से संशोधित टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया कि एन्नोर में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा जो विचाराधीन है, को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

एजेंडा नंबर 11 : (आस्थगित प्रस्ताव)

नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में मैसर्स कोंकोर द्वारा मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/31/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। सीबीईसी ने सूचित किया कि स्थानीय क्षेत्राधिकारीय आयुक्त से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। आईएमसी ने टिप्पणी की कि यह सुविधा सागरमाला परियोजना के अंतर्गत चिह्नित है इसलिए सीबीईसी से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद फाइल पर शीघ्रता से प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा सकती है।

एजेंडा नंबर 12 : (आस्थगित प्रस्ताव)

फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स एस वी मल्टी लाजीटेक द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1)

बैठक में विकासक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। सीबीईसी की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रस्ताव आस्थगित हो गया गया।

एजेंडा नंबर 13 : (आस्थगित प्रस्ताव)

सर्वे नंबर 1/3 बी 3, पल्लीकट रोड, कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर, चेन्नई में मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/37/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। पोत परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने वाले हैं। प्रस्ताव आस्थगित हो गया गया।

एजेंडा नंबर 14 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम भंबोली, तालुक खेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/38/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। विकासक ने सूचित किया है कि क्षेत्राधिकारीय कस्टम आयुक्तालय का कार्यालय भूमि के संबंध में उप पट्टा करार पर स्पष्टीकरण मांग रहा है। कस्टम विकासक को भूमि प्रदान करने के लिए विधिक लिखतों के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

एजेंडा नंबर 15 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम थाटीपार्टी पालेम, वेंकटाचलम मंडल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में मैसर्स गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/01/2016-इनफ्रा-1)

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 09 फरवरी, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/26/2016-ईआर दिनांक 02 फरवरी, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी प्रदान नहीं करनी है और यह भी बताया कि प्रमोटर द्वारा प्रस्तावित सीएफएस से एयर कार्गो की प्रोसेसिंग की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/01/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के माध्यम से अपनी सहमति से अवगत कराया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016-पीडी-V दिनांक 01 जुलाई, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 16 : (आस्थगित प्रस्ताव)

मदुरै, तमिलनाडु में मैसर्स कर्ण एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/02/2016-इनफ्रा-1)

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 12 फरवरी, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि चूंकि यह परियोजना सड़क आधारित है इसलिए उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है और इसलिए कोई आपत्ति नहीं है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/28/2016-ईआर दिनांक 22 फरवरी, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी प्रदान नहीं करनी है और यह भी बताया कि प्रमोटर द्वारा प्रस्तावित सीएफएस से एयर कार्गो की प्रोसेसिंग की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016-पीडी-V दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 43410212016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 4 जुलाई 2016 के माध्यम से अपनी सहमति से अवगत कराया है।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 17 : (आस्थगित प्रस्ताव)

वीरमगांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी)

की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/04/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

III. नए प्रस्ताव : (03 प्रस्ताव)

एजेंडा नंबर 18 : (नया प्रस्ताव)

हजीरा पोर्ट के पास, हजीरा, गुजरात में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/07/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। विकासक द्वारा वाणिज्य विभाग को सीएलयू भी प्रस्तुत किया जाना है।

एजेंडा नंबर 19 : (नया प्रस्ताव)

खिडीरपुर, कोलकाता में मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/08/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

एजेंडा नंबर 20 : (नया प्रस्ताव)

मीलावट्टम गांव, हार्बर एक्सप्रेस हाई रोड, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में मैसर्स एएलएस तूतीकोरीन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/16/2016-इनफ्रा-I

सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। अब सीएलयू तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं तथा इनफ्रा प्रभाग द्वारा जांच की जानी चाहिए।

IV. एलओआई की अवधि बढ़ाने के मामले (16 मामले)

एजेंडा नंबर 21 :

ग्राम जनौली, पलवल, हरियाणा में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/25/2009-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र संख्या शून्य दिनांक 10 जून 2016 के माध्यम से सूचित किया है वे प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए एलओआई की अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया (अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है)। आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक छठीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई क्योंकि वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/25/2009-इनफ्रा-I दिनांक 16 दिसंबर 2015 के माध्यम से पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जून 2016 तक वैध थी।

एजेंडा नंबर 22 :

पोवारखेड़ा, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश में मैसर्स केसर मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/16/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या केएमएलएल/पावरखेड़ा/बीपीएल/एफ-9-10 दिनांक 17 जून 2016 के माध्यम से बताया कि सीबीईसी द्वारा धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचनाएं तथा डीजी सिस्टम द्वारा लोकेशन कोड जारी किए जा चुके हैं तथा माना गया है कि परियोजना क्रियाशील हो जाएगी। बाद में यह महसूस करने पर कि स्टाफ की तैनाती होने तक आईसीडी क्रियाशील नहीं होता है, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है, विकासक ने अब 31 दिसंबर 2015 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्था 3 अक्टूबर 2016 तक एलओआई की छठवीं बार अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/16/2012-इनफ्रा-1 दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 31 दिंसबर 2015 तक वैध थी। आईएमसी ने 31 दिसंबर, 2015 के बाद 10 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 अक्टूबर, 2016 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 23 :

रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सास्था वेयरहाउसिंग लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2013-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से न तो कोई अनुरोध प्रापत हुआ है और न ही उन्होंने बैठक में भाग लिया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 24 :

कलमासेरी, कोच्चि, केरल में मैसर्स पेरियार केमिकल्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए

एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2011-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से न तो कोई अनुरोध प्रापत हुआ है और न ही उन्होंने बैठक में भाग लिया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 25 :

पटना, बिहार में मैसर्स प्रिस्टीन मगध लाजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/6/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी की बैठक में विकासक मौजूद था तथा उन्होंने बताया कि अवसंरचना पूरी हो गई है और वे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 7 (एए) के अंतर्गत अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एलओआई की अवधि 30 जून 2016 को समाप्त हो गई है। तथापि, एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए विकासक की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विकासक की ओर से मौखिक अनुरोध के आधार पर आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक चौथी बार एलओआई की अवधि बढ़ाई तथा विकासक से कार्य शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया और विकासक द्वारा एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए औपचारिक अनुरोध भेजने के लिए कहा गया। वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/06/2013-इनफ्रा-1 दिनांक 16 दिसंबर 2015 के माध्यम से पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जून 2015 तक वैध थी।

एजेंडा नंबर 26 :

नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में विक्रम लाजिस्टिक्स लिमिटेड) द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2009-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 6 जुलाई 2016 के माध्यम से बताया है कि वे ईडीआई कनेक्टिविटी के परीक्षण के अंतिम चरण में हैं और अगले तीन माह में यह पूरा हो जाएगा। आईएमसी ने विकासक के अनुरोध के आधार पर 30 जून 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर 2016 तक 5वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई तथा कहा कि इस अवधि तक आईसीडी क्रियाशील हो जानी चाहिए। वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/26/2009-इनफ्रा-1 दिनांक 09 मई 2016 के माध्यम से पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जून 2016 तक वैध थी।

एजेंडा नंबर 27 :

ग्राम जट्टीपुर, समालखा, पानीपत, हरियाणा में मैसर्स कंटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/30/2013-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से न तो कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और न ही उन्होंने बैठक में भाग लिया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 28 :

विशाखापट्टनम में मैसर्स श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/32/2011-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या एसएसएसपीएल/एचओ/डी-11/2015-2016 दिनांक 6 जुलाई 2016 के माध्यम से बताया है कि वे सीबीईसी के क्षेत्राधिकारीय आयुक्तों से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा 30 सितंबर 2016 के बाद तीन माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया। आईएमसी ने 30 सितंबर, 2016 के बाद 03 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2016 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई। वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/32/2011-इनफ्रा-1 दिनांक 09 मई 2016 के माध्यम से पिछली बार छठवीं बार बढ़ाई गई अवधि 30 सितंबर 2016 तक वैध थी।

एजेंडा नंबर 29 :

अय्यानाडायप्पू, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में मैसर्स प्राम्प्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/07/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 18 मई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि दिसंबर 2015 के पहले सप्ताह के दौरान अभूतपूर्व बरसात हुई जिसके कारण परियोजना स्थल पूरी तरह पानी में डूब गया और इस प्रकार मार्च 2016 तक कोई कार्य नहीं हो सका। यह भी बताया गया कि अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में कार्य आरंभ हुआ। 40 प्रतिशत चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है तथा 14 सितंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। आईएमसी ने 14 सितंबर, 2016 के बाद 1 साल की अवधि के लिए अर्थात 14 सितंबर, 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई। वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/07/2015-इनफ्रा-I दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से मंशा पत्र (एलओआई) जारी किया गया था जो 14 सितंबर 2016 तक वैध था।

एजेंडा नंबर 30 :

कृष्णापट्टनम पोर्ट पर मैसर्स कृष्णापट्टनम बे एरिया सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/22/2014-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से न तो कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और न ही उन्होंने बैठक में भाग लिया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 31 :

ग्राम ध्रुव, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स हिंद मुंद्रा टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/25/2014-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया है कि परियोजना क्रियाशील हो गई है। आईएमसी ने इसे नोट किया तथा विकासक से इस संबंध में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एजेंडा नंबर 32 :

हजीरा, गुजरात में मैसर्स हजीरा कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/08/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या एचसीएफएसपीएल/सीएफएस/हजीरा/2016-17 दिनांक 5 जुलाई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है तथा वे सीआरजेड विनियम के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

इसलिए, उन्होंने 14 सितंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 14 सितंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 14 सितंबर 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई क्योंकि वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/08/2015-इनफ्रा-I दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से एक साल की वैधता अवधि के साथ जारी किए गए एलओआई की अवधि 14 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है।

एजेंडा नंबर 33 :

ग्राम एवं तालुक देवनहल्ली, जिला बंगलौर देहात में मैसर्स पर्ल एंड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा

एएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/37/2045-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या पीपीडब्ल्यूपीएल/एएफएस/2016-17/003 दिनांक 2 जुलाई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि अन्य स्वीकृतियों के अलावा प्रदूषण बोर्ड से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है तथा सूचित किया गया है कि कार्य की संविदा अभी तक सौंपी नहीं गई है और यह कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के शीघ्र बाद कार्य आरंभ होगा। इस प्रकार, विकासक ने 14 सितंबर 2016 के बाद 14 सितंबर 2017 तक एक साल की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 14 सितंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 14 सितंबर 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई क्योंकि वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/37/2014-इनफ्रा-I दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से एक साल की वैधता अवधि के साथ जारी किए गए एलओआई की अवधि 14 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है।

एजेंडा नंबर 34 :

नया पहाड़पुर रोड, संतोषपुर, कोलकाता में मैसर्स फिनिक्स लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/13/2014-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 6 जुलाई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि अगस्त 2016 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उन्होंने 14 सितंबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 14 सितंबर 2016 के बाद छः माह की अवधि के लिए अर्थात 14 सितंबर 2016 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई क्योंकि वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या 16/13/2014-इनफ्रा-I दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से एक साल की वैधता अवधि के साथ जारी किए गए एलओआई की अवधि 14 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है।

एजेंडा नंबर 35 :

ग्राम मोटा कपाया, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स ऋषि कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 1 जुलाई 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि अधिकांश महत्वपूर्ण अवसंरचना पूर्ण होने के कगार पर है तथा मार्च 2017 तक प्रचालन शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसलिए, 14 सितंबर 2016 के बाद छः माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। आईएमसी ने 14 सितंबर 2016 के बाद छः माह की अवधि के लिए अर्थात 14 मार्च 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई क्योंकि वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या

16/26/2014-इनफ्रा-I दिनांक 14 सितंबर 2015 के माध्यम से एक साल की वैधता अवधि के साथ जारी किए गए एलओआई की अवधि 14 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है।

एजेंडा नंबर 36 :

झरसूगुडा, ओडिशा में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/29/2014-इनफ्रा-1)

इस सुविधा को सागरमाला परियोजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है जिसके लिए कार्य को गति दी जा सकती है। सीबीईसी स्थानीय कस्टम को यथाशीघ्र अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी करने का निदेश दे सकता है। चूंकि एलओआई की अवधि 13 सितंबर 2016 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए विकासक द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर एलओआई की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

V. विविध मामले (02 मामले)

एजेंडा नंबर 37 :

विविध मामला (आवेदन में मूलत: 48 एकड़ के रूप में उल्लिखित भूमि 10.15 को घटाकर 10.15 एकड़ करना जिसके लिए कस्टम अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है)

मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/18/2010-इनफ्रा-1)

आईसीडी के क्षेत्रफल में कटौती के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति हुई है। तथापि, निर्णय लिया गया है कि सुविधा के लिए कस्टम द्वारा अधिसूचित क्षेत्रफल में कटौती को ध्यान में रखते हुए आईएमसी के सभी सदस्यों की औपचारिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रस्ताव परिचालित किया जाए।

एजेंडा नंबर 38 :

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस के नाम और स्वामित्व में परिवर्तन के मामले जहां परियोजनाओं क्रियाशील हो गई हैं

आईएमसी ने प्रस्ताव के लिए मंजूरी प्रदान की, जो इस प्रकार है :

क्र. सं.	विषयवस्तु	आईएमसी द्वारा अनुमोदित कार्रवाई
I.	आईसीडी / सीएफएस / एएफएस - क्रियाशील	
(क)	स्वामित्व में परिवर्तन के बगैर नाम में परिवर्तन	आईएमसी के स्तर पर किसी कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है। संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं और आईएमसी के सदस्यों को सूचित करते हुए संशोधित अधिसूचनाएं जारी कर सकते हैं।
(ख)	स्वामित्व में परिवर्तन	आईएमसी के स्तर पर किसी कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है। संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं और आईएमसी के सदस्यों को सूचित करते हुए संशोधित अधिसूचनाएं जारी कर सकते हैं।
II.	आईसीडी / सीएफएस / एएफएस - कार्यान्वयन के अधीन	
(क)	स्वामित्व में परिवर्तन के बगैर नाम में परिवर्तन	जांच सूची के अनुसार प्रलेखन की प्राप्ति पर तथा निदेशक द्वारा पुष्टि के बाद संशोधित एलओआई जारी किया जा सकता है और आईएमसी के विचारार्थ उसके समक्ष रखा जा सकता है।
(ख)	स्वामित्व में परिवर्तन	टिप्पणियों के लिए पुन: परिचालित किया जाए और आईएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

सीबीईसी से सभी अधीनस्थ कार्यालयों / क्षेत्राधिकारीय कस्टम आयुक्तालयों को क्रियाशील आईसीडी / सीएफएस के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया जाए।

******